

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/

दिनांक:- ...../04/2017

--: आदेश :-

डॉ० विभा राम चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांचौर, जालौर को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय, मुख्यालय जयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता है।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/ 113

दिनांक:- 7...../04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर को प्राप्त शिकायत की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है तथा उक्त चिकित्सक की जांच कर जांच रिपोर्ट भय अपनी टिप्पणी के निदेशालय को भिजवाए। यदि चिकित्सक दोषी पाया जाता है तो सीसीए नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्रादि भी भिजवाना सुनिश्चित करें। संलग्न:- शिकायत की छायाप्रति।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजि पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर